भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2352

जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

डिजिटल लेन-देन तथा साइबर धोखाधड़ी

2352. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु सहकारी समितियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के विनियमन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों और किसानों को सुगमता से ऋण और सहायता मिल सके?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) डिजिटल भुगतान लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ रूपे डेबिट कार्डों और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेन-देन (पी2एम), भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शामिल है ताकि अल्प-सेवित क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना के परिनियोजन का समर्थन किया जा सके।

इसके अलावा, भुगतान संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए विभिन्न पहलें, जैसे ग्राहक के मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच डिवाइस बाइंडिंग, पिन के माध्यम से दोहरा प्रमाणीकरण, दैनिक लेनदेन सीमा और उपयोग के मामलों पर प्रतिबंध की गई हैं। एनपीसीआई एआई/एमएल-आधारित मॉडलों का उपयोग करके अलर्ट उत्पन्न करने और लेनदेन को अस्वीकार करने के लिए सभी बैंकों को धोखाधड़ी निगरानी समाधान भी प्रदान करता है। आरबीआई और बैंक साइबर अपराध की रोकथाम के लिए लघु एसएमएस, रेडियो अभियान और प्रचार के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं।

(ख): वित्तीय समावेशन के लिए सहकारी समितियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के विनियमन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहल की गई हैं।

इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

- आरबीआई ने सभी विनियमित संस्थाओं को सूक्ष्म वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति अपनाने हेतु एक विनियामक ढांचा जारी किया है। इसमें निधियों की लागत, जोखिम प्रीमियम और मार्जिन को कवर करने वाला एक पारदर्शी ब्याज दर मॉडल शामिल है।
- सूक्ष्म वित्त ऋण की परिभाषा को सरल बनाया गया है और एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा दिए गए ऋणों पर विभिन्न मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, जिसमें एक विशेष चक्र में ऋण राशि की सीमा और एक विशेष सीमा से अधिक ऋण के लिए न्यूनतम अवधि शामिल है।
- चिकित्सा, शिक्षा और आय को सुकर बनाने के उद्देशयों से ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आय सृजन के प्रयोजनों लिए न्यूनतम 50% ऋण प्रदान करने की पूर्ववर्ती मांग को समाप्त कर दिया गया है।

*****